



राष्ट्रीय / मेगा / विशेष लोक अदालत के समक्ष

स्थान-व्यवहार न्यायालय, खगड़िया / गोगरी

(विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया द्वारा आयोजित)

वाद संख्या MPK-05/19 (NCT-07/19)

..... कुमारी रीतु

याची / वादी / परिवादी

..... विरुद्ध
श्रीमती सुनील कापरी एवं श्रीमती सुनील कापरी

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

उपस्थित- पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम: श्री मनोज कुमार झा

गैर न्यायिक सदस्य का नाम-1 श्रीमति रेखा कुमारी

Scale² no-01.

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद को राष्ट्रीय / मेगा / विशेष लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने विवाद / मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

उपपक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि अनावेदन शीमेन कापरी
आपसी ठीक सुनील कापरी एवं आवेदन कापरी रीतु को
एक मुद्रा समझौते के रूप में 10,50,000/- (दस लाख पचास हजार
रुपये का भुगतान करेंगे। एवं उपपक्ष आपसी सहमति से विवाद-विच्छेद
की डिग्री प्राप्त करेंगे। एक मुद्रा समझौते के रूप में 10,50,000/- (दस लाख
आपसी सहमति से विवाद-विच्छेद प्रक्रिया के तहत में डिग्री प्राप्त
सुनील कापरी के रूप में दिया जाएगा। उपपक्ष उनके मध्य लोकर सुनील कापरी
का भुगतान आपसी सहमति से विवाद-विच्छेद की डिग्री प्राप्त के रूप
में मेगा / उपपक्ष द्वारा वसूली के लिए आपसी सहमति से आवेदन पत्र
दिया गया है।
पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि किसी पक्षकार द्वारा यदि न्याय शुल्क का भुगतान किया गया है तो न्याय शुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा।

कुमारी रीतु

याची / वादी / परिवादी

Mamta Singh
09/05/2024

न्यायिक सदस्य

तिथि



Ketka Singh
Adv

सदस्य

09/05/26

श्रीमती सुनील कापरी एवं

श्रीमती सुनील कापरी

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

सदस्य